भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI – 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/34/2024-2025 **26 नवम्बर, 2024**

श्री सचिन कुमार
ग्राम-मावीकलाँ पोस्ट- कठुआ
जिला-बागपत, उत्तर प्रदेश-250609

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक -- का पत्र जो इस सचिवालय में 27.10.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 65एफ़ 149291 संलग्न कर अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपका दिनांक 05.10.2024 का आवेदन दिनांक 14.11.2024 को श्रीयुत जिलाधिकारी, बागपत को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

अतः आपको पुनः सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्रीयुत जिलाधिकारी, बागपत, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

सरिता
(सरिता चौहान)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001
TEL.: 23094953, 23094954 FAX : 23094950

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2024(ह)-प्रशासन

14 नवंबर, 2024

श्रीयुत जिलाधिकारी
जिला मुख्यालय बागपत,
उत्तर प्रदेश -250619

महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री सचित कुमार, ग्राम मवीकलां, पोस्ट काठा तहसील खेकडा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश -250609 का दिनांक 21.10.2024 का पत्र इस सचिवालय मे दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त हुआ हैं ।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,

ह०/-

(सरिता चौहान)

प्रति सूचनार्थ:- श्री सचित कुमार, ग्राम मवीकलां, पोस्ट काठा तहसील खेकडा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश -250609 कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्रवाई हेतु उपर्युक्त अधिकारियों के कार्यालय से संपर्क करें।

सरिता

(सरिता चौहान)

RTI - 34.

सेवा में,
श्री मान उपराष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली
110001

विषय: 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु।

महोदय, निवेदन यह है कि प्रार्थी के प्रश्न ने दिनांक 5/10/2024 को कानिक ने प्रार्थना पत्र दिया था आपने क्या कार्यवाही की है की सूचना 2005 के अन्तर्गत देने की कृपा करें यह मामला भाई और बहन के रिश्ते को तोड़ने का है जो विपक्षीगण जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षीगण नेताओं से फोन करके बागपत पुलिस विभाग से सांठ-गांठ करते हैं। पारसल आर्टिकल- कार्यवाही होने नहीं देते हैं।
↓
G5F149291

प्रार्थी

SACHIN KUMAR S/o MAMCHAND
Vill-MAVIKALAN, POST-KATHA
DIST-BAGHPAT (U.P.)
250609
MOB-8630846372

Vice President's Secretariat
Dy. No. 381
Date 21/10/24
New Delhi

(1)

सेवा में,
श्रीमान मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली-110001

विषयः–सचिन कुमार के पुत्र कनिष्क ने दिनांक 05.10.2024 को अपनी बहनो से मिलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिसमे प्रार्थी व कनिष्क को पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय बागपत उ0 प्र0 मे दिनांक 20.10.2024 को बुलाया और कनिष्क और सचिन कुमार ने ब्यान दिये कासंटेबल / हवलदार आशीष व वेदप्रकाश को तथा अपने ब्यानो की सत्यापित प्रति लेने हेतु आर0टी0आई0 लगायी जिसका रजिस्ट्र नं0:–एस0पी0बी0जी0पी0 / आर0 / 2024 / 60112 है ब्यानो की कॉपी व आर0टी0आई0 लैटर साथ मे सलंग्न है के आधार पर तत्काल कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी के पुत्र ने दिनांक 05.10.2024 को प्रार्थना पत्र कनिष्क के द्वारा दिया गया था जिसमे कनिष्क ने लिखा था कि मेरा नाम कनिष्क है मेरे पिता का नाम सचिन कुमार है मेरी उम्र करीब 11 वर्ष मुझे अपनी दोनो बहनों से मिलना है जब मै अपनी बहनो से मिलूंगा तो मेरी मम्मी के घरवालो का कोई भी व्यक्ति नही होना चाहिए केवल मै कनिष्क मेरी मम्मी रजनी मेरी दोनो बहना शिवांगी उम्र 9 वर्ष व काव्या उम्र 4 वर्ष व मेरे पापा जी सचिन कुमार और साथ मे पुलिस साथ मे रहनी चाहिए मेरी नानी व मेरी मम्मी के चाचा को पैसा चाहिए वे लालची है स्थानीय पोस्ट मैन से साठ गांठ कर रखी है जवाब नही आता है। तथा सभी थानो मे सेंटिंग कर लेते है कार्यवाही होने नही देते है।

1. यह है कि दिनांक 20.10.2024 को कनिष्क ने ब्यान दिये जो इस प्रकार है।

मेरा नाम कनिष्क है मुझे मेरी दोनो बहनो से मिलना है मेरी उम्र 11 वर्ष है जब मै अपनी दोनो बहनो से मिलूंगा तो साथ मे मेरे पापा

SUPREME COURT OF INDIA
R & I BRANCH
21 OCT 2024
Received On 21/10/24
12983/24 Time 11:10 AM.

साथ मे सलंग्न है। 3. प्रार्थी का पुत्र कनिष्क का कहना है कि मुझे मम्मी पापा के मुकदमो से कोई लेना देना नही है मुझे अपनी बहनो से मिलने का अधिकार तत्काल दिलाया जावे। प्रार्थी द्वारा साथ मे भेजे जा रहे 1 से 8 तक सभी प्रार्थना पत्रो का अध्यन करते हुए तत्काल शक्ति से कार्यवाही की जावे। तथा प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र कनिष्क दोनो की रजामन्दी से लिखाया गया है। तथा आज दिनांक 20.10.2024 को ब्यान की सत्यापित प्रति प्रार्थी को दी जावे जो प्रार्थी का मानव व मौलिक अधिकार है।

4. सचिन कुमार के पुत्र कनिष्क ने दिनांक 05.10.2024 को अपनी बहनो से मिलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिसमे प्रार्थी व कनिष्क को पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय बागपत उ0 प्र0 मे दिनांक 20.10.2024 को बुलाया और कनिष्क और सचिन कुमार ने ब्यान दिये कासंटेबल/हवलदार आशीष व वेदप्रकाश को तथा अपने ब्यानो की सत्यापित प्रति लेने हेतु आर0टी0आई0 लगायी जिसका रजिस्ट्र नं0:–एस0पी0बी0जी0पी0/आर0/2024/60112 है ब्यानो की कॉपी व आर0टी0आई0 लैटर साथ मे सलंग्न है के आधार पर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि साथ मे भेजे जा रहे सचिन कुमार व कनिष्क के ब्यानो व आर0टी0आई0 व साथ मे सलंग्न सबूतो के आधार पर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करे।

दिनांकः–21.10.2024

प्रार्थी
सचिन कुमार व कनिष्क
निवासी ग्राम मवीकलां पोस्ट काठा
तहसील खेकडा जिला बागपत।
पिन–250609